

महत्वपूर्ण / समयवद्ध

Email:- afrcup1155@gmail.com

संख्या- 5155 / प्र०फी०नि०रा० / शु०निर्धा० / 2023

प्रेषक,

सचिव,

प्रवेश और फीस नियमन समिति,
बासमण्डी चौराहा चारबाग,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री /
डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थान।

प्रवेश और फीस नियमन समिति,

लखनऊ:दिनांक // अगस्त, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 (एक वर्ष) हेतु निर्धारित शुल्क आदेश के अनुपालनार्थ विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-353270 / 2023 / 16-1099 / 1124 / 20199 (Part-1) दिनांक 21 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24(एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

2. सूच्य है कि विनियमावली-2015 के बिन्दु-12 में दिये गये प्राविधानानुसार निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थानों को भी निर्धारित फीस की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना आज्ञापक होगा।

3. उ०प्र० निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में स्पष्ट उल्लेख है कि:-

“किसी भी संस्था द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस अथवा अन्य फीस छात्रों से नहीं लिया जाएगा”। संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं से शासन/समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी मद में शुल्क की मांग किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो यह विनियमावली-2015 के संगत नियम-10 का सीधा उल्लंघन होगा।

अतः निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 एवं शासनादेश दिनांक 21.07.2023 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दिये

—

D/umesh data 2020-21-22/Go1

4

गये प्राविधानानुसार प्रवेश और फीस नियमन समिति, लखनऊ कार्यवाही करने के बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डॉ सन्तोष कुमार सिंह)

सचिव 

संख्या एवं दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, विभाग उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ०प्र० शासन के अवगतार्थ।



(डॉ सन्तोष कुमार सिंह)

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 353270 /2023/16-1099/1124/20199(part-1)

लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा 30 प्र० निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति 30 प्र०, प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 5104/प्र०फी०नि०स० /2023, दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) के लिये मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

4- शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मानक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः विश्लेषण हेतु दिनांक 12.07.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा जनमानस की परेशानियों, ऊत्रहित/जनहित/ऊत्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा मानक शुल्क में बढ़ोत्तरी न किये जाने के अनुरोध, कोविड-19 महामारी के

कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने एवं 'शिक्षा का व्यावसायिकरण सम्बन्धी जाँच समिति' द्वारा की गयी अपेक्षा को ध्यान में रखकर समिति कार्यालय द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी आदेश संख्या-5104/प्र०फी०नि०स०/२०२३ दिनांक 17.06.2023 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निर्धारित मानक शुल्क व शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

- उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2022-23 की भाँति शैक्षणिक वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Signed by कल्पना अवस्थी
 Date: 20-07-2023 17:25:56
 (कल्पना अवस्थी)
 Reason: Approved
 अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तारीख-

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- कुलसचिव, डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- निदेशक प्राविधिक शिक्षा, ३० प्र०, कानपुर।
- संचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१, उत्तरप्रदेश शासन।
- प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग।
- सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
- सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
 अपर मुख्य सचिव

प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत

उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था

(प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015

प्रवेश और फीस नियमन समिति

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या— ०६ /प्र०फी०नि०स०/2017

लखनऊ: दिनांक ०६ अप्रैल, 2017

आदेश

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या-598/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 के अनुपालन में समिति द्वारा लिया गया निर्णय।

अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद (कोड-027) संस्था में चल रहे बी0टेक0, एम0टेक0 एवं एम0सी०ए० पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण आदेश संख्या-321/प्र०फी०नि०स०/2013 दिनांक 26 अगस्त, 2013 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए रु० 97100.00 निर्धारित किया गया था।

2. तत्पश्चात शासन के पत्रांक संख्या-2491/सोलह-1-2015-14(44)/2015 दिनांक 22 जून, 2016 द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क ही लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

3. संस्था द्वारा उपरोक्त शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 22 जून, 2016 के विरुद्ध एवं शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-32744/2016 योजित की गयी थी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2016 के विरुद्ध मा० न्यायालय में समिति की ओर से विशेष अपील संख्या-598/2016 योजित की गयी थी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2016 को सुनवाई के पश्चात मा० न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.08.2016 को निरस्त करते हुए जो आदेश पारित किये गये, का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

“.....In the circumstances, we dispose of this special appeal by the following order: The appellant-Committee shall fix the fee for the academic sessions 2017-18, 2018-19 and 2019-20, as expeditiously as possible and preferably within a period of six months from today. It is made clear that under no circumstance, shall the appellant-Committee seek extension of time. It is needless to mention that the respondent-institution shall cooperate in fixation of fee within the stipulated time. The respondent institution, under any circumstances, shall not demand anything more than what has been paid by the students for the year 2016-17. It is open for them to charge fee that will be fixed for the academic years 2017-

18, 2018-19 and 2019-20 from the students, including the students admitted for this academic year (2016-17) from the next year.

While making this observation, we shall not be understood to have expressed any opinion on the rights of the students. In view of this order, the impugned judgment renders ineffective, insofar as the respondent-institution (writ petitioners) are concerned.”

4. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं फीस का नियतन) विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समिति के आदेश संख्या-115/प्रफीनिस/2016 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

स्मूह	पाठ्यक्रम का नाम	मानक शुल्क रु०
एक	बी०टेक, बीआर्क, बी०फार्मा, बी०एफ०ए०, बी०एफ०ए०डी०,	55000.00
छो	बी०एच०एम०सी०टी०,	73000.00
तीन	एम०बी०ए० / एम०सी०ए० / एम०टेक० / एम०फार्मा० / एम०आर्च०	58000.00

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हे अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में प्रश्नगत संस्थान द्वारा दिनांक 13.12.2016 को अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5. संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 22.03.2017 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से श्री राकेश गर्ग, सचिव, डा० आर०क० अग्रवाल, निदेशक, श्री टी०एस० खन्ना, एकाउण्टेन्ट ने प्रतिभाग किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि संस्थान में बी०टेक०, एम०टेक० एवं एम०सी०ए पाठ्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान में छात्रों से रु० 97,100.00 शुल्क लिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर रु० 1,75,000.00 किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया एवं विनियमावली 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया:-

(i) डेप्रीसिएशन पर व्ययभार:-

शैक्षिक संस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार स्थापित संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण निहित नहीं है। अतएव् परिसम्पत्तियों पर हास की गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का उद्देश्य निहित नहीं है। चूंकि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश न होने के कारण आयकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नहीं है। अतः डब्लू०डी०वी० अथवा एस०एल०एम० दोनों पद्धतियों से संस्था के संचालन हेतु कैश फ्लो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक मात्र प्रभाव इस व्यय को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित की गयी अवसंरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगमी वर्षों तक समान रूप से उपलब्ध रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू०डी०वी० (रिटन डाउन वैल्यू) पद्धति से हास मूल्य दिया जाता है तो पहले के वर्षों में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षों के शुल्क की राशि कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में स्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों को समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएसन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में कम्पनी एकट-1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्धति का उपयोग किया गया है।

(ii) विज्ञापन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थानों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक / गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाये अपने संस्थान की उपलब्धियों के विषय में समय-समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो एवं टीवी के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार-प्रसार कराते हैं या कभी-कभी कतिपय संस्थान विशेष इवेन्ट्स को एस्पोर्सर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते हैं। ज्ञातव्य है कि संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेंडर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन आवश्यक है। विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार शुल्क के निर्धारण में आवश्यक एवं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापनों के लिए वार्षिक व्यय के मद में संस्था के

कुल व्यय का अधिकतम् एक प्रतिशत धनराशि को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(iii) वेतनमद पर व्ययभार

संस्थाओं में छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों स्टाफ के वेतन की धनराशि व्यय के एक मुख्य मद के रूप में निहित होती है। संस्थाओं द्वारा चूंकि अभातशिप के नार्मस के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, अतएव् संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप के नार्मस के अनुसार वेतनमद में धनराशि के व्यय का आंकलन कर रेगुलेट करते हुए व्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। उक्त धनराशि के सत्यापन हेतु नियमावली-2015 के प्राविधान के अनुसार टी०डी०एस० कटौती का प्रमाण-पत्र, फार्म-16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण-पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

(iv) विकास पर व्ययभार

संस्था की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आकलन किया जाना कम है, चूंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० / आर्कीटेक्चर कौसिंल ऑफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास मद में 10 प्रतिशत की दर के अनुसार शुल्क निर्धारण किया गया है।

(v) मंहगाई पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गत तीन वर्षों में औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए आधार माना गया है। अतः प्रचलित वास्तविक सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत के दर से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर मंहगाई की मद को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(vi) कुल व्ययभार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत् वास्तविक छात्र-छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अतएव वास्तविक छात्रों की संख्या पर आँगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिंग होगी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थानों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की गयी है।

(vii) व्याज पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्सड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर व्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो व्याज की अधिकतम् 25 प्रतिशत धनराशि या रु0 3000/- डिग्री पाठ्यक्रम रु0 1000/- डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या जो भी कम हो व्ययभार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे ऋण पर व्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में क्य किये गये प्रियाडिकल्स एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा क्य की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययभार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

7. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2015–16 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2015–2016 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2016–2017 के लिए 7 प्रतिशत सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढ़ोत्तरी रेट ऑफ इन्फलेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गई। वर्ष 2017–18 के लिए सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2018–2019 के लिए सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2019–20 के लिए पुनः सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2017–2018, 2018–19 एवं 2019–20 में की गयी बढ़ोत्तरी कमशः 7 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं पुनः 7 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

8. उपरोक्त बिन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है:—

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद	बी०टेक०	रु० 1,11,256.00
	एम०टेक०	रु० 1,11,256.00
	एम०सी०ए०	रु० 1,11,256.00

संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या—01 से 06 तक संलग्न है।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2017–18 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समरत प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र—छात्राओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

9. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10. उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा—4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध

अपील के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393/सौलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

(पवन कुमार गंगवार)

सदस्य

कलसचिव

आ० १०३००५०० अड्डल कलाम प्राविधिक,
विश्वविद्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।

(श्रीमती श्रीतल कर्मा)

सदस्य

विशेष सचिव, वित्त,

उ०प्र० शासन।

(मुकेश कुमार मेश्रा)

अध्यक्ष

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
शासन।

संख्या एवं दिनांक तदेव-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक / प्राचार्य अजय कुमार गर्मा इंजीनियरिंग कालेज, गाजियाबाद।
- कुल सचिव, ए०पी०ज० अड्डल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-१, उत्तर प्रदेश शासन।
- प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक विभाग।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आ० १०३००५०० सिंह)
सचिव